रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-73 Registered No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23, 1975 (भाद्रपद 1, 1897)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23, 1975 (BHADRA 1, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

---

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया
केन्द्रीय कार्यालय
लेखा और व्यय विभाग

बम्बई-400001, दिनांक 1975

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट-वापसी नियमावली, 1975

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (घ) तथा उपधारा (1) के साथ पढ़ी जाने वाली उक्त अधिनियम की धारा 28 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय निदेशक बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के साथ, इसके द्वारा उन परिस्थितियों तथा उन शर्तों और सीमाओं को निर्धारित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है जिनके अंतर्गत खोये, अपूर्ण या कटे फटे नोटों का मूल्य अनुग्रह के रूप में वापस किया जा सकता है।

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ

(1) इन नियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 1975 कहा जाएगा।

(2) वे तत्काल अमल में आयेंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में,

(क) "बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेत है ;

(ख) 'बैंक नोट" से बैंक द्वारा जारी किया गया कोई भी नोट अभिप्रेत है परन्तु उसमें सरकारी नोट सम्मिलित नहीं है ;

(ग) "सरकारी नोट" से कोई ऐसा नोट अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक को दिया गया हो और जो बैंक द्वारा जारी किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे नोट के मूल्य की अदायगी की देयता, बैंक पर हो और बैंक द्वारा ले ली गयी हो ;

(घ) "आधा नोट" से नोट के दो भागों में से कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है, जो नोट के मध्य भाग से या उसके निकट से दो भागों में या तो उर्ध्वाधर स्थिति में अर्थात् नोट की चौड़ाई के समानान्तर या लगभग समानान्तर रेखा से या समस्तरीय स्थिति में अर्थात् नोट की लंबाई के समानान्तर या लगभग समानान्तर रेखा से विभाजित हुआ हो बशर्ते कि ऐसा भाग स्वयं एक ही टुकड़ा हो ;

209GI/75

(ङ) "आधा क्षेत्र" से ऐसा संलग्न क्षेत्र अभिप्रेत है, जो नोट के अमुद्रित अंशों सहित कुल क्षेत्र का पचास प्रतिशत है;

(च) "अपूर्ण नोट" से ऐसा कोई नोट अभिप्रेत है जो पूर्णतः या अंशतः विरूपित परिवर्तित या अस्पष्ट हो परन्तु इसमें कटा-फटा नोट सम्मिलित नहीं है ;

(छ) "कटे-फटे नोट" से ऐसा नोट अभिप्रेत है जिस का एक भाग नहीं हो या जो टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया हो ;

(ज) "नोट" से बैंक नोट या सरकारी नोट अभिप्रेत है ;

(झ) जिस श्रृंखला का नोट हो, उसमें यदि कोई श्रृंखलागत उपसर्ग और प्रत्यय हो तो उसके अक्षर और आंकड़े 'संख्या' में सम्मिलित हैं ;

(ञ) "निर्दिष्ट अधिकारी" से बैंक के किसी कार्यालय या शाखा के इशू विभाग का प्रभारी अधिकारी या बैंक द्वारा इस निमित नामित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ।

3. दावों का प्रस्तुतीकरण और निपटान

(1) बैंक के किसी कार्यालय या किसी शाखा के इशू विभाग में किसी भी नोट के संबंध में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(2) यदि सौ रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के नोटों के संबंध में बैंक की बंबई स्थित शाखा से इतर किसी अन्य कार्यालय या अन्य शाखा के इशू विभाग में दावा प्रस्तुत किया जाए तो उसके बारे में बंबई शाखा को लिखा जाएगा और उस शाखा में उस पर कार्रवाई की जाएगी; परन्तु ऐसे किसी दावे के संदर्भ में दावेदार को अदायगी या उसके संबंध में किसी निर्णय की सूचना उसी कार्यालय या शाखा के द्वारा दी जायगी जहां दावा प्रस्तुत किया गया हो ।

(3) कोई अन्य दावा बैंक के जिस कार्यालय या शाखा में प्रस्तुत किया जाएगा वहां उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे निपटाया जाएगा ।

4. जानकारी मांगने या जांच करने का अधिकार

दावे पर कार्रवाई करने वाला निर्दिष्ट अधिकारी या बैंक, यदि आवश्यक समझा जाए तो इन नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये किसी दावे के संबंध में कोई जानकारी मांग सकता है या कोई जांच कर सकता है ।

5. सभी दावों से संबंधित सामान्य उपबंध

(1) जिस नोट की तथाकथित रूप से चोरी हुई हो, उसके संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(2) निम्नलिखित नोट से संबंधित दावा अस्वीकार किया जाएगा :

(i) जिसका अभिज्ञान निर्दिष्ट अधिकारी निश्चित रूप से ऐसे सही नोट के रूप में नहीं कर सकता, जिसका दायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत बैंक पर है, अथवा

(ii) निर्दिष्ट अधिकारी की राय में जिसको अपूर्ण बनाया गया हो या इस उद्देश्य से काटा फाड़ा गया हो कि वह उच्चतर मूल्य वर्ग का प्रतीत हो, या इन नियमों के अन्तर्गत या अन्यथा झूठा दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बैंक या जनता को धोखा देने के लिये जानबूझ कर काटा गया हो, फाड़ा गया हो, विकृत बनाया गया हो, परिवर्तित किया गया हो या किसी अन्य तरीके से उस पर कार्रवाई की गयी हो । यह आवश्यक नहीं है कि दावेदार ने स्वयं ऐसा किया हो, अथवा

(iii) जिस पर कोई ऐसे बाह्य शब्द या दृश्य संकेत हों जिनका उद्देश्य राजनीतिक स्वरूप का कोई संदेश अभिव्यक्त करना हो या जो अभिव्यक्त कर सकते हों, अथवा

(iv) जिसका दावेदार द्वारा किसी विधि के उपबंधों के उल्लंघन में भारत, भूटान और नेपाल को छोड़कर किसी अन्य स्थान से भारत में आयात किया गया हो, अथवा

(v) जिसके संबंध में मूल्य बैंक द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा देय हो, अथवा

(vi) जिसके संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी या बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी संबद्ध नोटिस या पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर दावेदार द्वारा प्रस्तुत न की जाए ।

भाग II

एक सौ रूपये के और कम मूल्य वर्ग के नोट

6. खोये या पूर्णतः नष्ट नोट और आधे नोट

एक सौ रुपये या उससे कम मूल्य वर्ग पके किसी ऐसे नोट के संबंध में जिसके बारे में यह कहा जाए कि खो गया है या पूर्णतः नष्ट हो गया है या जो आधा नोट है, कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायगा ।

7. अपूर्ण नोट

एक सौ रुपये या उससे कम मूल्य वर्ग के अपूर्ण नोट का मूल्य निम्नलिखित स्थितियों में अदा किया जा सकता है :

(क) संख्या या संख्याओं सहित नोट पर मुद्रित विषय पूर्ण रूप से अस्पष्ट न हो गया हो, तथा

(ख) नोट पर स्पष्ट मुद्रित विषय के आधार पर निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि वह असली नोट है ।

8. कटे फटे सरकारी नोट

यदि निर्दिष्ट अधिकारी निम्नलिखित बातों से संतुष्ट हो कटे-फटे नोट का मूल्य अदा किया जा सकता है—

(i) प्रस्तुत किये गये नोट का अविभाजित टुकड़ा या टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा उस क्षेत्र का है जो स्पष्ट रूप से नोट के आधे क्षेत्र से अधिक है तथा

(ii) यदि नोट के दो या दो से अधिक टुकड़े प्रस्तुत किये गये हों तो उन्हें एक ही नोट के टुकड़ों के रूप में पहचाना जा सकता है, तथा

(iii) दावेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये टुकड़े या टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े पर पूरी संख्या पहचानी जा सकती है तथा यदि नोट दो, तीन या चार संख्याओं वाली किसी श्रृंखला का हो तो यथास्थिति अन्य संख्या या अन्य दो संख्याओं या अन्य तीन संख्याओं में अधिकांश अंकों को भी पहचाना जा सकता है और इस प्रकार पहचाने गये अंकों का प्रत्येक सेट एक भी टुकड़े पर अवस्थित है तथा श्रृंखला के उपसर्ग में कोई क्रमिक अक्षर या संख्या अथवा पूरी संख्या में कोई अंक और ऐसी अन्य संख्या या संख्याओं में से जिनकी पहचान अपेक्षित है कोई अस्पष्ट नहीं है,

(2) यदि उप-नियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं की जाती किन्तु प्रस्तुत किये गये टुकड़े मिला कर एक ऐसे क्षेत्र के होते हैं जो स्पष्ट रूप से नोट के आधे से अधिक है तथा उक्त उप-नियम के खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं और यदि निर्दिष्ट अधिकारी इस विचार का है कि उन परिस्थितियों में नोट की अदायगी की जा सकती है तो वह संबंधित कागजात के साथ तथा यदि इस संबंध में उसकी अपनी सिफारिशें हों तो उनके साथ बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को दावे के बारे में लिखेगा और उसके बाद बैंक उस कार्यालय के अभिलेखों या अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दावे की जांच पड़ताल करके जैसा भी उचित समझे निर्दिष्ट अधिकारी को नोट की राशि अदा करने या दावे को अस्वीकार करने का निर्देश देगा ।

9. कटे-फटे बैंक नोट

(1) एक सौ रुपये या उससे कम मूल्य वर्ग के ऐसे कटे-फटे बैंक नोट का मूल्य जिसमें केवल एक ही स्थान पर संख्या मुद्रित हो, निम्नलिखित स्थितियों में अदा किया जा सकता है --

(क) यदि दो आधे नोट एक साथ प्रस्तुत किये जायें जिनसे एक पूरा नोट बन सके तथा निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि दोनों आधे नोट एक ही नोट के हिस्से हैं तथा नोट की पूरी संख्या उसी रूप में पहचानी जा सकती है जिस रूप में उस मूल्य वर्ग, आकार और स्वरूप के पूरे नोट के मामले में पहचानी जा सकती है जिसके वे आधे नोट अंश प्रतीत होते हैं, अथवा

(ख) यदि प्रस्तुत किया गया अविभाजित टुकड़ा या टुकड़ों में से एक टुकड़ा उस क्षेत्र का है जो स्पष्ट रूप से नोट का आधे से अधिक क्षेत्र है और यदि दो या दो से अधिक टुकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं तो वे एक ही नोट के टुकड़ों के रूप में पहचाने जा सकें, तथा

(i) यदि नोट उस श्रृंखला का है जिसमें गारंटी खण्ड केवल अंग्रेजी में ही मुद्रित है तो संपूर्ण गारंटी खंड अंग्रेजी में तथा यदि नोट उस श्रृंखला का है जिसमें गारंटी खंड अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में मुद्रित है तो संपूर्ण गारंटी खंड अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में,

(ii) यदि नोट उस श्रृंखला का है जिसमें हस्ताक्षर केवल अंग्रेजी में मुद्रित है तो संपूर्ण हस्ताक्षर अंग्रजी में तथा यदि नोट उस श्रृंखला का है जिसमें हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में मुद्रित हैं तो संपूर्ण हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में,

(iii) यथास्थिति राज्य का संपूर्ण चित्र या संपूर्ण अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह, तथा

(iv) नोट की पूरी संख्या इस रूप में कि यदि श्रृंखला गत कोई उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसमें कोई क्रमिक अक्षर या संख्या या अंक अस्पष्ट न हो,

प्रस्तुत किये गये टुकड़ या टुकड़ों में से एक टुकड़े पर लक्षित हो तथा स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकें, अथवा

(ग) प्रस्तुत किये गये दो या अधिक टुकड़ों को एक साथ रखने पर यदि उनका क्षेत्र स्पष्टतः नोट के आधे क्षेत्र से अधिक है तथा सभी टुकड़ों को एक ही नोट के टुकड़ों के रूप में पहचाना जा सकता है तथा मुद्रित विषय खंड (ख) के (i) से (iii) तक के प्रत्येक उपखंड में निर्धारित सीमा तक तथा उक्त खंड के उपखंड (iv) में निर्धारित प्रकार से नोट की पूर्ण संख्या प्रत्येक मामले में एक टुकड़े पर इस प्रकार लक्षित होती है कि यदि श्रृंखलागत कोई उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसमें कोई क्रमिक अक्षर या संख्या या अंक अस्पष्ट न हो,

(घ) प्रस्तुत किये गये टुकड़े या टुकड़ों का क्षेत्र, सभी टुकड़ों को एक साथ रखने पर नोट के आधे से अधिक क्षेत्र होता है तथा सभी टुकड़ों को एक ही नोट के टुकड़ों के रूप में पहचाना जा सकता है, तथा

(i) यदि श्रृंखला कोई उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसमें प्रत्येक अक्षर या संख्या का अधिकांश भाग अथवा यदि श्रृंखलागत कोई उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसका काफी अधिक भाग तथा

(ii) नोट की संख्या में अधिकांश अंक

नोट के टुकड़ों में से एक टुकड़े पर अविभाजित क्षेत्र में इस प्रकार पहचाने जा सकते हैं कि यदि श्रृंखलागत कोई उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसमें या यदि श्रृंखलागत उपसर्ग या प्रत्यय का अधिकांश भाग हो तो उसमें प्रत्येक क्रमिक अक्षर या संख्या का अधिकांश भाग तथा उनमें से अभिज्ञेय अंक अस्पष्ट न हो ।

(2) एक सौ रुपए या उससे कम मूल्यवर्ग के ऐसे कटे-फटे बैंक नोट का मूल्य जिस पर दो स्थानों पर संख्या मुद्रित हो, अदा किया जा सकता है, यदि

(क) दो आधे नोट इस प्रकार एक साथ प्रस्तुत किये जाएं कि एक पूरा नोट हो और निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि दोनों आधे नोट एक ही नोट के हैं और नोट की पूरी संख्या दोनों स्थानों पर एक समान

उसी प्रकार प्रतीत होती है जिस प्रकार उस मूल्यवर्ग, आकार और स्वरूप के पूरे नोट में विद्यमान रहती है जिसके भाग वे आधे नोट प्रतीत होते हैं, अथवा

(ख) प्रस्तुत किये गये अविभाजित टुकड़े या प्रस्तुत किये गये टुकड़ों में से एक टुकड़े का क्षेत्र स्पष्ट रूप से नोट के आधे क्षेत्र से अधिक है और यदि दो या अधिक टुकड़े प्रस्तुत किये जाएं तो यह पहचाना जा सके कि वे टुकड़े एक ही नोट के हैं, और

(i) यदि नोट उस शृंखला का है जिसमें गारंटी-खंड केवल अंग्रेजी में ही मुद्रित है तो सम्पूर्ण गारंटी खंड अंग्रेजी में और यदि नोट उस शृंखला का है जिसमें गारंटी खंड अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में मुद्रित है तो सम्पूर्ण गारंटी खंड अंग्रेजी और हिन्दी में

(ii) यदि नोट उस शृंखला का है जिसमें हस्ताक्षर केवल अंग्रेजी में मुद्रित हैं तो सम्पूर्ण हस्ताक्षर अंग्रेजी में और यदि नोट उस शृंखला का है जिसमें हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में मुद्रित हैं तो सम्पूर्ण हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिन्दी में

(iii) यथास्थिति राजा का संपूर्ण चित्र या संपूर्ण अशोक स्तंभ का प्रतीक चिह्न तक

(iv) नोट की एक पूरी संख्या और दूसरी संख्या के अधिकांश अंक इस प्रकार प्रतीत हों कि यदि कोई शृंखलागत उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसमें कोई क्रमिक अक्षर या संख्या अथवा पूरी संख्या का अंक या उनमें से दूसरी संख्या में परिज्ञेय कोई अंक अस्पष्ट न हो,

और प्रस्तुत किये गये टुकड़े या टुकड़ों में से एक टुकड़े पर उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, अथवा

(ग) प्रस्तुत किये गये दो या अधिक टुकड़ों को एक साथ रखने पर यदि उनका क्षेत्र नोट के आधे क्षेत्र से अधिक है तथा सभी टुकड़ों को एक ही नोट के टुकड़ों के रूप में पहचाना जा सकता है तथा मुद्रित विषय खंड (ख) के (i) से (iii) तक के उपखंडों में निर्धारित सीमा तक तथा उक्त खंड के उपखंड (iv) में निर्धारित प्रकार से पूरी संख्या और उक्त उपखंड (vi) में निर्धारित प्रकार से दूसरी संख्या के अधिकांश अंक भी प्रत्येक मामले में एक ही टुकड़े पर लक्षित हों, अथवा

(घ) प्रस्तुत किये गये टुकड़े या टुकड़ों का क्षेत्र सभी टुकड़ों को एक साथ रखने पर नोट के आधे क्षेत्र से अधिक है तथा सभी टुकड़ों को एक ही नोट के टुकड़ों के रूप में पहचाना जा सकता है और

(i) यदि कोई शृंखलागत उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसके सभी अक्षरों और संख्याओं तथा उक्त संख्याओं के सभी अंकों सहित दोनों पूरी संख्याएं, अथवा

(ii) यदि कोई शृंखलागत उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसके सभी अक्षरों और संख्याओं तथा पूरी संख्या के सभी अंकों सहित एक पूरी संख्या और और अन्य समरूप संख्या के अधिकांश अंक, अथवा

(iii) यदि कोई शृंखलागत उपसर्ग और प्रत्यय हों तो उनमें से प्रत्येक उपसर्ग और प्रत्यय के अथवा यदि कोई शृंखलागत उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसके अधिकांश भाग के प्रत्येक अक्षर या संख्या का अधिकांश भाग और दोनों में से किसी भी अवस्था में दो समरूप संख्याओं में से प्रत्येक के अधिकांश अंक,

एक या दो परन्तु अनधिक टुकड़ों पर विद्यमान एक अभिभाजित क्षेत्र या दो अविभाजित क्षेत्रों में इस प्रकार पहचाने जा सकें कि यदि कोई शृंखलागत उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसके अथवा यदि कोई शृंखलागत उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसके पर्याप्त अंश के प्रत्येक क्रमिक अक्षर या संख्या का अधिकांश भाग और संख्याओं में अभिज्ञेय सीमा तक अंक अस्पष्ट नहीं हैं।

10. नियम 7, 8 और 9 में उल्लिखित दावों को छोड़कर अन्य दावे

नियम 7, 8 और 9 में उल्लिखित दावों को छोड़कर एक सौ रुपये या उससे कम मूल्य वर्ग के अपूर्ण या कटे-फटे नोटों के संबंध में किये गये और किसी भी दावे की अदायगी नहीं की जाएगी।

भाग III

एक सौ रुपये से अधिक मूल्य वर्गों के नोट

11. खोये या पूर्ण रूप से नष्ट हुए नोटों के विवरण जो दावे के साथ प्रस्तुत किये जाएं

एक सौ रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के ऐसे किसी भी नोट के संबंध में जिसके बारे में यह कहा जाए कि वह खो गया है या पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, निम्न निर्दिष्ट प्रकार से दावा प्रस्तुत किया जाए, अर्थात्

(क) ऐसे किसी नोट के सम्बन्ध में किये गये दावे के साथ एक लिखित वक्तव्य हो जिसमें दावेदार का नाम, व्यवसाय और पता दिया गया हो और यह सिद्ध किया गया हो कि संपूर्ण नोट का अंतिम वैध धारक दावेदार ही था तथा उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया हो जिनमें यथास्थिति नोट खो गया हो या नष्ट हो गया हो।

(ख) उक्त लिखित वक्तव्य निम्नलिखित में से किसी एक संस्था के अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया हो :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) द्वारा गठित भारतीय रिजर्व बैंक; अथवा

(ii) स्टेट बैंक ; आफ़ इंडिया, अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक आफ इंडिया; अथवा

(iii) स्टेट बैंक आफ़ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में यथा परिभाषित कोई सहायक बैंक; अथवा

(iv) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित तदनुरुप कोई नया बैंक ; अथवा

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में यथापरिभाषित कोई बैंकिंग कंपनी; अथवा

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 में यथापरिभाषित राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी बैंक, और

ऐसे लिखित वक्तव्य पर उस अधिकारी द्वारा इस आशय का सत्यापन किया गया हो कि जिस व्यक्ति ने उक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये हैं उसे वह जानाता है;

(ग) जिन परिस्थितियों में नोट खो गया या नष्ट हो गया हो उनके संबंध में पुलिस या डाक अधिकारियों द्वारा यदि कोई जांच की गई हो तो जांच के परिणामों का संकेत करते हुए उक्त अधिकारियों से प्राप्त विवरण भी दावे के साथ प्रेषित किया जाए।

12. खोये या पूर्ण रूप से नष्ट हुए नोट :
किन परिस्थितियों में दावे अस्वीकार किये जाएंगे

यदि नियम 11 के अन्तर्गत किये गये दावे की जांच करने के पश्चात् निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि नोट ऐसी परिस्थितियों में खो गया है या पूर्ण रूप से नष्ट हुआ है कि भविष्य में उसके प्रस्तुत किये जाने की संभावना नहीं है तो वह दावे को अस्वीकार करेगा।

13. खोये या पूर्णरूप से नष्ट हुए नोट :
किन परिस्थितियों में दावों की राशि अदा की जा सकती है।

(1) यदि नियम 11 के अंतर्गत किये गये दावे की जांच करने के पश्चात् निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि नोट ऐसी परिस्थितियों में खो गया है या पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है कि भविष्य में पुनः अदायगी हेतु उस नोट के प्रस्तुत किये जाने की संभावना नहीं है तथा यदि अधिकारी इस संबंध में भी संतुष्ट है कि दावेदार नोट का अंतिम वैध धारक था तो उक्त अधिकारी भारत के राजपत्र तथा उस राज्य सरकार या संघशासित क्षेत्र के राजपत्र के तीन क्रमिक अंकों में एक नोटिस प्रकाशित कराएगा जहां इस विभाग का वह कार्यालय स्थित है जिसमें दावा सर्व प्रथम पेश किया गया था। उस नोटिस में दावेदार का नाम तथा खाये या नष्ट हुए नोट का विवरण दिया जाएगा और यह भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति उस नोट के संदर्भ में प्रतिदावा करना चाहे तो वह बैंक तत्काल प्रतिदावा प्रस्तुत करे तथा इसके अतिरिक्त वह कम से कम तीन महीने और उसके पश्चात की अवधि तक बैंक के प्रत्येक कार्यालय या शाखा के इस विभाग में किसी स्पष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर उल्लिखित नोटिस की एक प्रतिलिपि लगवाएगा,

(2) यदि भारत के राजपत्र में नोटिस के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नोट प्रस्तुत नहीं किया जाता तो निर्दिष्ट अधिकारी नोट के मूल्य के बराबर की राशि डाक-घर के बचत बैंक में जमा कर देगा।

(3) यदि किसी आगामी अवधि के समाप्त होने पर जिसका निर्धारण निर्दिष्ट अधिकारी करेगा और जो भारत के राजपत्र में नोटिस के प्रकाशित होने की तिथि से पांच वर्ष से कम नहीं होगी, नोट प्रस्तुत नहीं किया जाता और न ही उस संदर्भ में कोई प्रतिदावा सिद्ध होता है तो निर्दिष्ट अधिकारी उप नियम (2) के अधीन निवेशित राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि दावेदार को या दावेदार के मृत होने की स्थिति में उसके वैध प्रतिनिधि को अपने द्वारा निर्धारित फार्म में अदालत द्वारा क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित किये जाने पर दे देगा।

(4) यदि उप-नियम (3) में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने से पूर्व नोट के संदर्भ में कोई प्रतिदावा सिद्ध हो जाता है तो निर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति नोट का मूल्य अथवा उप नियम (2) के अधीन निवेशित राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि इस प्रकार बाद में दावा सिद्ध करने वाले व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति के मृत होने की स्थिति में उसके वैध प्रतिनिधि को, दोनों में से किसी मामले में इस विषय में अपने द्वारा निर्धारित फार्म में आदाता द्वारा क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित किये जाने पर दे देगा।

(5) यदि उपनियम (3) में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने से पूर्व खोया हुआ या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका नोट दावेदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इस नियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाइयां निरस्त कर दी जायंगी तथा कथित नोट के संबंध में किये गये दावे पर कार्रवाई उसे स्वतन्त्र दावे के रूप में मान कर की जायेगी।

14. आधे मूल्य के लिये किये गये दावे :

(1) एक सौ रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के नोट के आधे मूल्य के लिये किये गये दावे को इन दो स्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है। यदि दावे के साथ आधा नोट प्रस्तुत किया जाये तथा प्रस्तुत किय गये भाग में नोट की पूरी संख्या लक्षित हो तथा उसे स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके।

(2) इस प्रकार के किसी भी दावे पर निम्न प्रकार से से कार्रवाई की जायेगी ।

(क) यदि इन नियमों के अन्तर्गत नोट का पूरा मूल्य पहले ही अदा किया जा चुका है तो दावे को अस्वीकार किया जायेगा ।

(ख) यदि दावे के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व या उसके पश्चात् 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के पूर्व नोट के पूरे मूल्य के लिये एक दावा या एक से अधिक दावे प्राप्त हैं तो या तो एक दावेदार को पूरा मूल्य अदा किया जायेगा या दोनों में से प्रत्येक को आधा मूल्य अदा किया जायेगा अथवा सभी दावे अस्वीकार किये जायेंगे ।

(ग) यदि नोट के पूरे मूल्य के लिये दावे के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व या उसके पश्चात् 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई अन्य दावा प्राप्त नहीं हुआ हो तो नोट का आधा मूल्य उस अवधि को समाप्ति पर दावेदार अदा किया जायेगा ।

15. आधे नोट के पूरे मूल्य के लिये किये गये दावे :

(1) एक सौ रुपये से अधिक मूल्य वर्ग का आधा नोट प्रस्तुत करके पूरे मूल्य के लिये किये गये दावे को विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है । यदि नोट के खोये हुए भाग के संबंध में नियम 11 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट विवरण सहित उस नियम के खण्ड (ख) में निर्धारित रीति के अनुसार हस्ताक्षरित लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया गया हो तथा यदि खोये हुए भाग के संबंध में पुलिस या डाक अधिकारियों द्वारा कोई जांच की गयी हो तो पुलिस या डाक अधिकारियों का वक्तव्य दावे के साथ प्रस्तुत किया गया हो ।

(2) यदि दावा अन्यथा विधिवत है तो उस पर निम्नलिखित प्रकार से कार्रवाई की जायेगी :

(क) यदि नोट का पूरा मूल्य अदा किया जा चुका है तो दावे को अस्वीकार कर दिया जा सकता है ।

(ख) यदि नोट का आधा मूल्य पहले ही अदा किया जा चुका है तो नोट का शेष आधा मूल्य दावेदार को अदा किया जा सकता है ।

(ग) यदि कोई एक प्रतिदावा या एक से अधिक प्रतिदावे अनिर्णीय हैं तो एक दावेदार को नोट का पूरा मूल्य अदा किया जा सकता है या दो दावेदार में से प्रत्येक को नोट का आधा मूल्य अदा किया जा सकता है या खोये हुए भाग को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को पूरा या आधा मूल्य अदा किया जा सकता है या सभी दावों को अस्वीकार कर दिया जा सकता है ।

(घ) यदि निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट नहीं है कि आधे नोट का दूसरा भाग ऐसी परिस्थितियों में खो गया है या नष्ट हुआ है कि भविष्य में उसके प्रस्तुत किये जाने की संभावना नहीं है तो नोट का आधा मूल्य दावेदार को अदा किया जा सकता है ।

(ङ) यदि दावे का निपटान खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) के अन्तर्गत दिये हुए उपबन्धों के अधीन नहीं किया जा सकता तो उस पर इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी मानो वह खोये या पूर्ण रूप से नष्ट हुए नोट का दावा हो और उसके बाद ऐसे नोट पर नियम 13 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

16 अपूर्ण नोट :

एक सौ रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के किसी अपूर्ण नोट का मूल्य तब अदा किया जा सकता है जब निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि वह वास्तविक नोट है और जब निर्दिष्ट अधिकारी नोट की संख्या को इस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हों, कि वह छः से अनधिक संभाव्य में से एक है ।

परन्तु यदि संख्या इस प्रकार सुनिश्चित नहीं की जा सके किन्तु दावेदार नोट की पूरी संख्या की घोषणा करे तो दावे पर इस प्रकार कार्रवाई की जायेगी मानो वह खोये या पूर्ण रूप से नष्ट हुए नोट का दावा हो और उसके बाद ऐसे नोट पर नियम 13 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

परन्तु यदि संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सके और दावेदार द्वारा भी नोट की संख्या की घोषणा नहीं की जाए, किन्तु निर्दिष्ट अधिकारी की राय में निश्चित रूप से उसे इस प्रकार उचित अवधि के भीतर पहचाना जा सकता है कि वह उस समय अदत्त रहने वाले उसी मूल्यवर्ग, आकार और स्वरूप के नोटों की छः से अनधिक संभाव्य संख्याओं में से एक है तो दावेदार को भावी अभिज्ञान के लिए उस नोट को छोड़ जाने की अनुमति दी जायेगी और उसके बाद

(क) निर्दिष्ट अधिकारी नोट के विवरणों को इस संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज करेगा और दावेदार को नोट के लिये रसीद देगा; और

(ख) उसके बाद यदि नोट के जमा किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर नोट की संख्या का पता लगाया जा सकेगा तो दावेदार को नोट का मूल्य अदा किया जायेगा ; और

(ग) यदि नोट की संख्या का पता लगाया नहीं जा सके और यदि नोट के जमा किये जाने की तारीख के बाद तीन वर्षों की अवधि बीत जाए तो दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

17. कटे फटे नोट : एक साथ जोड़े गए विभिन्न आधे नोट

एक सौ रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के नोट के पूरे मूल्य के लिए किये गये दावे पर यदि प्रस्तुत किया गया नोट किसी एक नोट के आधे नोट को दूसरे नोट के आधे नोट के साथ जोड़कर बनाया गया हो तो उस पर इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी मानो दो आधे नोटों में से प्रत्येक के लिय अलग अलग दावा किया गया हो ।

18. अन्य कटे-फटे नोट

एक सौ रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के किसी ऐसे अन्य कटे-फटे नोट के पूरे मूल्य के लिये किये गये दावे के लिये जो खो नहीं गया हो

या पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ हो, अदायगी उस हालत में की जा सकती है, जब :

(i) प्रस्तुत किया गया टुकड़ा इस प्रकार अविभाजित हो कि उसमें स्पष्ट रूप से नोट का आधे से अधिक क्षेत्र हो अथवा प्रस्तुत किये गये टुकड़े एक ही नोट के टुकड़े प्रतीत होते हों और उनको एक साथ रखने पर उनका क्षेत्र स्पष्ट रूप से नोट के आधे क्षेत्र से अधिक हो; और

(ii) प्रस्तुत किये गये टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े के अविभाजित क्षेत्र में नोट की पूरी संख्या हो अथवा यदि पूरी संख्या इस प्रकार नहीं हो तो निर्दिष्ट अधिकारी सुनिश्चित रूप से यह पहचान सके कि यह उस समय तक अदा न किये गये उसी मूल्य वर्ग, आकार और स्वरूप के नोटों की छः से अनधिक संभाव्य संख्याओं में से एक है।

परन्तु यदि :

(क) खंड (i) में निर्दिष्ट शर्त पूरी नहीं की गई हो, परन्तु प्रस्तुत किये गये टुकड़े पर या टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े पर पूरी संख्या पहचानी जा सके, अथवा

(ख) खंड (i) में निर्दिष्ट शर्त पूरी नहीं की गयी हो और प्रस्तुत किये गये टुकड़े पर या टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े पर पूरी संख्या पहचानी नहीं जाती हो परन्तु दावेदार नोट की पूरी संख्या घोषित करे, अथवा

(ग) खंड (i) में निर्दिष्ट शर्त पूरी की गयी हो, परन्तु खंड (ii) में निर्दिष्ट शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं की गयी हो और दावेदार नोट की पूरी संख्या घोषित करे ;

तो ऐसे दावे पर इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी मानो यह दावा पूर्ण रूप से नष्ट हुए नोट के संबंध में हो और ऐसे नोट पर नियम 13 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

परन्तु यदि खंड (i) में निर्दिष्ट शर्त पूरी की गयी हो परन्तु खंड (ii) में निर्दिष्ट की भी शर्त पूरी नहीं की गयी हो और दावेदार द्वारा नोट की संख्या घोषित न की गयी हो परन्तु यदि निर्दिष्ट अधिकारी का यह मत हो कि उचित अवधि के भीतर सुनिश्चित रूप से यह पता लगाया जा सकता है कि वह उस समय तक अदा न किये गये उसी मूल्यवर्ग, आकार और स्वरूप के नोटों की छः से अनधिक संभाव्य संख्याओं में से एक है तो दावेदार को भावी अभिज्ञान के लिए नोट को जमा करने की अनुमति दी जा सकती है और उसके बाद उस मामले पर नियम 16 के दूसरे परन्तुक के यथास्थिति खंड (क) अथवा खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अन्तर्गत या तो उसका मूल्य अदा किया जायेगा या दावा अस्वीकार किया जायेगा।

19. 11 से 18 तक के नियमों में उल्लिखित दावों को छोड़कर अदेय दावे

नियम 11 से 18 तक उल्लिखित दावों को छोड़कर एक सौ रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के किसी ऐसे नोट जो खो गया हो या पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या अपूर्ण हो या कटा-फटा हो, के दावे को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

भाग IV

विविध

20. किन दावेदारों पर ये नियम बाध्यकारी होंगे

(1) आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इन नियमों के अन्तर्गत जो कोई अदायगी की जाएगी वह केवल अनुग्रह के रूप में की जाएगी और बैंक समय समय पर इन नियमों के उपबन्धों को अमल में लाने के लिये निर्दिष्ट अधिकारियों को ऐसे अनुपूरक और विस्तृत अनुदेश जारी कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

(2) जो भी व्यक्ति, किसी अपूर्ण या कटे-फटे नोट के लिये दावा करेगा तो यह माना जाएगा कि उसने दावा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 28 के परन्तुक के अन्तर्गत और इन नियमों के उन उपबन्धों के अधीन किया है जो सभी दावेदारों और उनके उत्तराधिकारियों का नामित व्यक्तियों पर बाध्यकारी समझे जाएंगे।

21. निर्दिष्ट अधिकारी या बैंक का निर्णय :

(1) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि क्या प्रस्तुत किया गया कोई नोट या उसका कोई भाग अपूर्ण या कटा-फटा है अथवा वह मध्य भाग से या मध्य भाग के निकट से ऊर्ध्वाधर स्थिति में या समस्तरीय स्थिति में विभाजित है अथवा उसमें स्पष्टतः पूरे नोट का आधे से अधिक क्षेत्र है अथवा वह आधा नोट है अथवा प्रस्तुत किये गये नोट के सभी टुकड़े या उसका एक भाग एक ही नोट के हैं या एक ही नोट का है अथवा क्या इन नियमों के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत नोट अदायगी योग्य है तो निर्दिष्ट अधिकारी या बैंक पूर्वोक्त नियमों के उपबन्धों तथा नोट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का निर्णय करने का अधिकारी होगा और जब तक निर्दिष्ट अधिकारी या बैंक के विचार से इन नियमों में निर्दिष्ट शर्तों का स्पष्ट रूप से पालन नहीं हुआ हो तब तक नोट का मूल्य देय नहीं होगा।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत किये गये किसी दावे के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी या बैंक द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा और उस निर्णय के विरुद्ध किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जा सकती।

22. नोटों को रख लेना और नष्ट करना :

(1) किसी दावे के संबंध में प्रस्तुत किया गया एक सौ रुपये से अधिक मूल्य वर्ग का नोट उस हालत में यथोचित रूप से मुहर और छाप लगाने के बाद दावेदार को लौटा दिया जायेगा जब दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि नियम 16 या नियम 18 में निर्दिष्ट प्रणाली से नोट की संख्या का निर्धारण

नहीं किया जा सकता या जब नियम 16 के दूसरे परंतुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर दावा अस्वीकार कर दिया गया हो ।

(2) उक्त नियम (1) में उल्लिखित नोटों को छोड़कर किसी भी दावे के संबंध में प्रस्तुत किया गया नोट चाहे वह किसी मूल्य वर्ग का हो या दावे के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी का निर्णय कुछ भी हो, बैंक द्वारा रख लिया जायगा और निम्नांकित अवधि के बाद उसे नष्ट कर दिया जायगा या उसका अन्यथा निपटान कर दिया जायगा :

(क) किसी ऐसे नोट के मामले में जिसको अदायगी कर दी गयी है, अदायगी के पश्चात् किसी भी समय पर, और

(ख) किसी ऐसे नोट के मामले में जिसकी अदायगी नहीं की गयी है, दावे को अस्वीकार करने के निर्णय की तारीख से तीन महीनों की अवधि समाप्त होने पर।

23. वैध उत्तराधिकारियों की अदायगी :

(1) यदि इन नियमों के अन्तर्गत जिस दावेदार को नोट का मूल्य देय हो वह मृत हो जाए तो उसका वैध प्रतिनिधि अदायगी प्राप्त करने का पात्र होगा।

(2) जहां अदायगी की राशि पांच सौ रुपयों से कम हो वहां वैध प्रतिनिधि द्वारा प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर भी यदि निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि वैध प्रतिनिधि राशि प्राप्त करने का हकदार है या यदि वैध प्रतिनिधि निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में बैंक के नाम क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करे तो निर्दिष्ट अधिकारी उसे अदायगी कर सकता है।

24. मुद्रित फार्म :

जहां बैंक के नाम कोई बांड निष्पादनीय हो वहां बैंक का दावेदार को या अदायगी प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति को बांड की एक मुद्रित प्रति निशुल्क प्रदान करेगा।

25. मुद्रांक शुल्क :

बांड पर लगाये जाने वाले किसी मुद्रांक का मूल्य बांड निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा देय होगा।

26. जब आदाता का पता न लगे तब अपनायी जानेवाली क्रियाविधि :

जब इन नियमों के अन्तर्गत किये गये दावे के परिणामस्वरूप नोट का मूल्य या उसके मूल्य का अंश दावेदार को देय हो, पर ऐसे दावेदार का या यदि वह मृत हो तो उसके वैध प्रतिनिधि का पता नहीं लगाया जा सके या निर्णय को सूचना दिये जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर यह राशि प्राप्त करने के लिये कदम न उठाये तो ऐसी देय राशि बैंक के बैंकिंग विभाग को अदा की जायगी और उसके पश्चात् बैंक जैसा उचित समझे, उक्त राशि का निपटान कर देगा।

27. निरसन :

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट-वापसी) नियमावली, 1935 इसके द्वारा निरस्त की जाती है।

(2) उप नियम (1) के अनुसार नियमावली के निरस्त होने के बावजूद भी इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को अनिर्णीत रहने वाले किसी दावे पर उसके तत्काल पूर्व अमल में रहने वाली नियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

रा० कि० शेषाद्रि
उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF ACCOUNTS AND EXPENDITURE
BOMBAY NO. 400 001

Reserve Bank of India Note Refund Rules, 1975

In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 28 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), read with clause (q) of sub-section (2) and sub-section (1) of Section 58 of the said Act, the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following rules prescribing the circumstances in, and the conditions and limitations subject to which the value of lost, imperfect or mutilated notes may be refunded as a matter of grace.

1. *Short title and commencement.*

(1) These rules may be called the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. *Definitions.* In these rules,

(a) "Bank" means the Reserve Bank of India constituted by the Reserve Bank of India Act, 1934;

(b) "bank note" means any note issued by the Bank, but does not include a Government note;

(c) "Government note" means any note issued by the Central Government or supplied by the Central Government to the Bank and issued by the Bank, provided the liability for the payment of value in respect of such note has devolved on and been taken over by the Bank;

(d) "half-note" means either portion of a note, which has been divided through or near the centre into two pieces, either vertically, that is to say, along a line parallel or nearly parallel to the width of the note or horizontally, that is to say, along a line parallel or nearly parallel to the length of the note, provided that such portion is itself in one piece;

(e) "half the area" means any continuous area which represents fifty percent of the total area of a note, including non-printed portions thereof;

(f) "imperfect note" means any note which is wholly or partially obliterated, altered, or undecipherable but does not include a mutilated note;

(g) "mutilated note" means a note of which a portion is missing or which is composed of pieces;

(h) "note" means a bank note or a Government note;

(i) "number" includes the letters and numbers of the serial prefix and the suffix, if any, in the series to which the note belongs;

(j) "prescribed officer" means the officer in charge of the Issue Department at any office or branch of the Bank or any other person designated by the Bank in this behalf.

3. *Presentation and disposal of claims.*

(1) A claim in respect of any note may be presented to the Issue Department of any office of any branch of the Bank.

(2) A claim in respect of a note of a denomination exceeding one hundred rupees, if it is presented to the Issue Department at any office or branch of the Bank other than its branch at Bombay, shall be referred to the Bombay branch and shall be dealt with at that branch, but the payment in respect of any such claim or the decision thereon shall be made or intimated to the claimant through the office or branch at which it has been presented.

(3) Any other claim shall be dealt with and disposed of at the office or branch of the Bank at which it is presented.

4. *Right to call for information or to hold enquiries.*

The prescribed officer or the Bank dealing with a claim may, if it is considered necessary so to do, call for any information or hold any enquiry relating to any claim presented under these rules.

5. *General provisions in relation to all claims.*

(1) A claim in respect of a note which is alleged to have been stolen, shall not be entertained.

(2) A claim in respect of a note,

(i) which cannot be identified with certainty by the prescribed officer as a genuine note for which the Bank is liable under the Reserve Bank of India Act, or

(ii) which in the opinion of the prescribed officer has been made imperfect or has been mutilated, with a view to making it appear to be of a higher denomination, or has been deliberately cut, torn, defaced, altered or dealt with in any other manner, not necessarily by the claimant, with a view to establishing a false claim under these rules or otherwise to defraud the Bank or the public, or

(iii) which carries any extrinsic words or visible representations intended to convey or capable of conveying any message of a political character, or

(iv) which has been imported into India by the claimant from any place outside India, Bhutan, and Nepal in contravention of the provisions of any law, or

(v) in respect of which the value is payable not by the Bank but by some other authority, or

(vi) in relation to which any information, which is called for by the prescribed officer or the Bank as the case may be is not furnished by a claimant within a period of three months from the date of receipt of the notice or letter asking for the information shall be rejected.

PART II

Notes of the denomination of one hundred rupees and below

6. *Lost or wholly destroyed notes and half notes.*

No claim in respect of a note which is stated to have been lost or wholly destroyed, or a half note, shall be entertained, if the denomination of the note is either one hundred rupees or less.

7. *Imperfect notes.*

The value of an imperfect note of a denomination of one hundred rupees or less may be paid, if

(a) the matter, which is printed on the note, including the number or numbers, has not become totally undecipherable, and

(b) the prescribed officer is satisfied, having regard to the printed matter which is decipherable on the note, that it is a genuine note.

8. *Mutilated Government notes.*

(1) The value of a mutilated Government note may be paid, if the prescribed officer is satisfied that

(i) the piece or one of the pieces presented, being undivided, is of an area which is clearly more than half the area of the note; and

(ii) in case two or more pieces are presented, they can be identified as belonging to the same note; and

(iii) the complete number can be identified on the piece or one of the pieces produced by the claimant and in case the note belonged to a series containing two, three or four numbers, the majority of the digits in the other number or the other two numbers or the other three numbers, as the case may be, can also be identified, such that each set of digits so identified appears on one piece and no serial letter or number in the serial prefix or digit in the complete number and no digit among those in the other number or numbers which are required to be identified is fied is obscure.

(2) If the condition specified in clause (i) of sub-rule (1) is not satisfied, but the pieces presented are together of an area which is clearly more than half the area of the note and the conditions specified in clauses (ii) and (iii) of that sub-rule are satisfied, and if the prescribed officer is of the opinion that in the circumstances of the case the note can be paid, he shall refer the claim, together with all the papers relating thereto and his recommendations, if any, to the Central Office of the Bank, and thereupon the Bank, after scrutinising the claim in the light of the records maintained or the information available at that office, may direct the prescribed office to pay the note or reject the claim as it may deem fit.

9. *Mutilated bank notes.*

(1) The value of a mutilated bank note of a denomination of one hundred rupees or less on which the number is printed at one place only may be paid if

(a) two half notes are produced together, so as to make up a whole note and the prescribed officer is satisfied that both the half notes belong to the same note and the complete number of the note can be identified as in the case of a perfect note of the denomination, size and pattern of which the half notes appear to be parts, or

(b) the piece or one of the pieces presented being undivided, has an area which is clearly more than half the area of the note, and in case two or more pieces are presented they can be identified as belonging to the same note, and

(i) the whole of the guarantee clause in English, if the note belongs to a series in which the guarantee clause is printed only in English, and the whole of the guarantee clause in English and Hindi, if the note belongs to a series in which the guarantee clause is printed in both English and Hindi,

(ii) the whole of the signature in English, if the note belongs to a series in which the signature is printed only in English, and the whole of the signatures in English and Hindi, if the note belongs to a series in which the signatures are printed in both English and Hindi,

(iii) the whole of the King's effigy or the whole of the Asoka Pillar emblem as the case may be, and

(iv) the complete number of the note, such that no serial letter or number in the serial prefix or suffix, if any, or digit is obscure,

appear and can be clearly identified on the piece or on one of the pieces as presented, or

(c) two or more pieces as presented have an area, which taking all the pieces together is clearly more than half the area of the note and all the pieces can be identified as belonging to the same note and the

printed matter, to the extent specified in each of the sub-clauses (i) to (iii) of clause (b) and the complete number of the note as specified in sub-clause (iv) of that clause appears in each case on one piece, such that no serial letter or number in the serial prefix or suffix, if any, or digit is obsecure, or

(d) the piece or pieces as presented has on have, taking all the pieces together, an area which is clearly more than half the area of the note and all the pieces can be identified as belonging to the same note, and

(i) the major portion of each letter or number in the serial prefix and suffix, if any, or a substantial portion of the serial prefix or suffix, if any, and

(ii) a majority of the digits in the number of the note

can also be identified in an undivided area on one of the pieces, such that the major portion of each serial letter or number in the serial preffix or suffix, if any, or the substantial portion of the serial prefix or suffix, if any and the digits among those which are required to be identified are not obscure.

(2) The value of a mutilated bank note of a denomination of one hundred rupees or less, on which the number is printed at two places may be paid, if

(a) two half notes are produced together so as to make up a whole note and the prescribed officer is satisfied that both the half notes belong to the same note and the complete number of the note, being identically the same number, appears at both the places as in the case of a perfect note of the denomination, size and pattern of which the half notes appear to be parts, or

(b) the piece or one of the pieces presented, being undivided, has an area, which is clearly more than half the area of the note, and in case two or more pieces are presented, they can be identified as belonging to the same note, and

(i) the whole of the guarantee clause in English, if the note belongs to a series in which the guarantee clause is printed only in English, and the whole of the guarantee clause in English and Hindi, if the note belongs to a series in which the guarantee clause is printed in both English and Hindi,

(ii) the whole of the signature in English, if the note belongs to a series in which the signature is printed only in English or the whole of the signature in English and Hindi, if the note belongs to a series in which the signatures are printed in both English and Hindi,

(iii) the whole of the King's effigy, or the whole of the Asoka Pillar emblem as the case may be, and

(iv) one complete number of the note plus the majority of the digits in the other number, such that no serial letter or number in the serial prefix or suffix, if any, or digit in the complete number and no digit among those which are required to be identified in the other number is obscure, appear and can be clearly identified on the piece or on one of the pieces presented, or

(c) two or more pieces as presented have an area which taking all the pieces together is more than half the area of the note and all the pieces can be identified as belonging to the same note and the printed matter to the extent specified in each of the sub-clause (i) to (iii) of clause (b) and the complete number of the note as specified in sub-clause (iv) of that clause and the majority of the digits in the other number as also specified in the said sub-clause (iv) appears in each case on one piece, or

(d) the piece or pieces as presented has or have, which taking all the pieces together an area which is clearly more than half the area of the note and all the pieces can be identified as belonging to the same note, and

(i) both the numbers, being complete and including all the letters and numbers in the serial prefix or suffix, if any, and all the digits in the said numbers, or

(ii) one complete number, including all the letters and numbers in the serial prefix or suffix, if any, and all the digits in the complete number and a majority of the digits in the other matching number, or

(iii) either the major portion of each letter or number in each of the serial prefixes and suffixes, if any, or a substantial portion of each serial prefix or suffix, if any, and in either case a majority of the digits in each of the two matching numbers.

can also be identified in one undivided area or two undivided areas on one or two but not more than two pieces, such that the major portion of each serial letter or number in the serial prefix or suffix, if any, or the substantial portion of the serial prefix or suffix, if any and the digits in the numbers to the extent that they are required to be identified are not obscure.

10. *Claims not payable except as provided in rules, 7, 8 and 9.*

Save as provided in rules 7, 8 and 9, a claim on account of any imperfect or mutilated note of the denomination of one hundred rupees or less shall not be paid.

PART III

Notes of denominations in excess of one hundred rupees.

11. *Lost or wholly destroyed note : particulars to be furnished along with claims*

A claim in respect of a note of any denomination exceeding one hundred rupees, which is stated to have been lost or wholly destroyed, shall be made in the manner hereinafter specified, namely,

(a) a claim in respect of any such note shall be accompanied by a written statement, containing the name, occupation and address of the claimant, asserting in either case that the claimant was the last lawful holder of the entire note and describing the circumstances leading to the loss or destruction of the note as the case may be

(b) the written statement shall be signed in the presence of an officer of—

(i) the Reserve Bank of India constituted by the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934): or

(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955); or

(iii) any subsidiary bank as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959); or

(iv) a corresponding new bank as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970); or

(v) a banking company as defined in section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or

(vi) a State co-operative bank or a central co-operative bank or a primary co-operative bank as defined in section 2 of the Reserve Bank of India Act 1934 (2 of 1934) and

shall bear an attestation by such officer to the effect that the person who has signed the statement is known to him;

(c) if any inquiry has been held by the police or postal authorities regarding the circumstances of the loss or destruction, a statement obtained from the said authorities indicating the result of the enquiry shall also be forwarded along with the claim.

12. *Lost or wholly destroyed notes : circumstances in which claims shall be rejected.*

If the prescribed officer after examining a claim made under rule 11 is not satisfied that the note has been lost or wholly destroyed in such circumstances that there is no probability of its being presented at some future date, he shall reject the claim.

13. *Lost or wholly destroyed notes : circumstances in which claims may be paid.*

(1) If the prescribed officer, after examining a claim made under rule 11, is satisfied that the note has been lost or wholly destroyed in such circumstances that there is no probability of its being presented for payment at any future date, and is further satisfied that the claimant was the last lawful holder of the note, he shall cause to be published in the Gazette of India and in three successive issues of the Gazette of the State Government or the Union territory in which the office of the Issue Department at which the claim was first presented is located a notice containing the name of the claimant and particulars of the note alleged to have been lost or destroyed and calling upon any person having a counter-claim in respect of the note to submit the counter-claim immediately to the Bank, and shall in addition cause a copy of the said notice to be displayed on a notice board in a prominent place, at the Issue Department of each office or branch of the Bank for a period of not less than three months and thereafter,

(2) if on the expiry of two years from the date on which the notice is published in the Gazette of India, the note has not been presented, the prescribed officer may invest in deposits in the post office savings bank an amount equivalent to the value of the note,

(3) if on the expiry of any further period which shall be determined by him, but which shall be not less than five years from the date on which the notice is published in the Gazette of India, the note has not been presented and no subsequent counter-claim in respect thereof has been substantiated, the prescribed officer shall deliver the amount invested under sub-rule (2) with any accrued interest to the claimant, or if the claimant is dead, to his legal representative, on a bond of indemnity being executed in either case by the payee in a form which may be specified by the prescribed officer in this behalf,

(4) if before the expiry of the period referred to in sub-rule (3) a counter-claimed in respect of the note is substantiated, the prescribed officer shall pay the value of the note, or as the case may be, deliver the amount invested under sub-rule (2) with any accrued interest thereon to the person establishing such subsequent claim, or if such person is dead, to his legal representative, on a bond of indemnity being executed in either case by the payee in a form which may be specified by the prescribed officer in this behalf,

(5) if before the expiry of the period referred to in sub-rule (3), the note alleged to have been lost or wholly destroyed is produced by the claimant or any other person, the proceedings under this rule shall be cancelled and the claim on account of the said note shall be dealt with as if it were an independent claim.

14. *Claims for half value.*

(1) A claim for half the value of a note of a denomination exceeding one hundred rupees may be entertained, if a half note is presented along with the claim, and if the complete number of the note appears on the portion presented and can be clearly identified.

(2) Any such claim shall be dealt with as follows :

(a) if the full value of the note has already been paid under these rules, the claim shall be rejected;

(b) if a claim or more than one claim for the full value of the note has been received before the presentation of the claim or is received before the expiry of thirty days thereafter, one claimant may be paid the full value or each of two claimants may be paid half the value or all the claims may be rejected;

(c) if a claim for the full value of the note has not been received before the presentation of the claim or is not received within a period of thirty days thereafter, half the value of the note may be paid to the claimant on the expiry of that period.

15. *Claims for full value of half note.*

(1) A claim for the full value on the presentation of a half note of a denomination exceeding one hundred rupees may be entertained, if it is accompanied by a written statement containing the particulars specified in clause (a) of rule 11, in so far as the missing portion of the note is concerned, signed in the manner specified in clause (b) of that rule, and if a statement from the police or postal authorities, in case any enquiry has been held by them in regard to the missing portion is also forwarded along with the claim.

(2) The claim, if it is otherwise in order, shall then be dealt with as follows :

(a) if the full value of the note has already been paid, the claim shall be rejected;

(b) if half the value of the note has already been paid, the other half of the value of the note may be paid to the claimant;

(c) if a counter-claim or more than one counter-claim is pending, one claimant may be paid the full value of the note, or each of two claimants may be paid half the value of the note, or the person presenting the missing portion may be paid the full value or half the value, or all the claims may be rejected;

(d) if the prescribed officer is not satisfied that the counterpart of the half note has been lost or destroyed in such circumstances that there is no probability of its being presented at some future date, half the value of the note may be paid to the claimant;

(e) if the claim cannot be disposed of under the provisions of clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d), it shall be dealt with as if it were a claim to a lost or wholly destroyed note and thereupon the provision of rule 13 shall, *mutatis mutandis*, be applicable to such a note.

16. *Imperfect notes.*

The value of an imperfect note of a denomination exceeding one hundred rupees may be paid, if the prescribed officer is satisfied that it is a genuine note and if the number of the note can be ascertained by the prescribed officer as being one of not more than six possible numbers.

Provided that if the number cannot be so ascertained, but the claimant declares the complete number of the note, the claim shall be dealt with as if it were a claim to a wholly destroyed note and thereupon, the provisions of rule 13 shall *mutatis mutandis* be applicable to such a note.

Provided further that if the number cannot be ascertained and is not also declared by the claimant, but the prescribed officer is of the opinion that it can be identified with certainty within a reasonable period as being one of not more than six possible numbers of notes of the same denomination, size and pattern remaining unpaid at that time, the claimant may be permitted to leave the note in deposit, with a view to future identification and thereupon,

(a) the prescribed officer shall enter the particulars of the note in a register to be maintained in this behalf and shall give a receipt to the claimant for the note; and

(b) if the number of the note is identified thereafter within a period of three years from the date of the deposit, the value of the note shall be paid to the claimant; and

(c) if the number of the note cannot be identified and if a period of three years has elapsed since the date of the deposit, the claim shall be rejected.

17. *Mutilated notes : different half notes joined together.*

A claim for the full value of a note of a denomination exceeding one hundred rupees shall, if the note as presented has been formed by joining a half note of any one note to a half note of another note, be dealt with as if there were separate claims in respect of each of the two half notes.

18. *Other mutilated notes.*

A claim for the full value of any other mutilated note of a denomination exceeding one hundred rupees, not being a lost or wholly destroyed not, may be paid if :

(i) the presented piece is undivided with clearly more than half the area of the note or the presented pieces appear to be parts of the same note and together have an area which is clearly more than half the area of the note, and

(ii) the complete number appears in an undivided area on one of the pieces as presented, or if the complete number does not so appear, it can be identified with certainty by the prescribed officer as being one of not more than six possible numbers of notes of the same denomination, size and pattern, remaining unpaid at that time.

Provided that if :

(a) the condition specified in clause (i) is not satisfied, but the complete number is identifiable on the piece or on one of the pieces as presented, or

(b) the condition specified in clause (i) is not satisfied and the complete number is also not identifiable on the piece or on one of the pieces as presented, but the claimant declares the complete number of the note, or

(c) the condition specified in clause (i) is satisfied, but neither of the conditions specified in clause (ii) is satisfied, and the claimant declares the complete number of the note.

the claim shall be dealt with as if it were a claim to a wholly destroyed note and thereupon the provisions of rule 13 shall *mutatis mutandis* be applicable to such a note.

Provided further that if the condition specified in clause (i) is satisfied but neither of the conditions specified in clause (ii) is satisfied and the number is not also declared by the claimant, but the prescribed officer is of the opinion that it can be identified with certainty within a reasonable period, as being one of not more than six possible numbers of notes of the same denomination, size and pattern, remaining unpaid at that time, the claimant may be permitted to leave the note in deposit, with a view to future identification and thereupon, the claim shall be dealt with, and may be paid or rejected in the manner provided for in clause (a) or clause (b) or clause (c) of the second proviso to rule 16 as the case may be.

19. *Claims not payable, except as provided in rules* 11 *to* 18.

Save as provided in rules 11 to 18, any claim on account of any note of a denomination exceeding one hundred rupees which has been lost or has been wholly destroyed or is imperfect or is mutilated shall be rejected.

PART IV

Miscellaneous

20. *Claimants to be bound by rules.*

(1) For the removal of doubts, it is hereby declared that any payment which is provided for under these rules shall be made only as of grace and that the Bank may from time to time issue for the guidance of the prescribed officers such supplementary or detailed instructions for carrying out the provisions of these rules as it may deem fit.

(2) Any person who makes any claim on account of an imperfect or mutilated note shall be deemed to have made the said claim under the proviso to section 28 of the Reserve Bank of India Act and subject to the provisions of these rules, which shall be deemed to be binding on all claimants and their heirs or assigns.

21. *Decision of the Prescribed Officer or the Bank.*

(1) If any question arises whether a note or any portion presented is an imperfect or mutilated note or is divided vertically or horizontally through or near the centre or has clearly more than half the area of a whole note or is a half note or whether all the pieces of a note or a portion thereof as presented belong or belongs to the same note, or whether a note is payable under any of the provisions of these rules, the prescribed officer or the Bank shall be entitled to determine the question, having regard to the provisions in the foregoing rules and the condition of the note, and a note shall not be payable unless the conditions specified in these rules have been clearly satisfied in the opinion of the prescribed officer or the Bank.

(2) The decision of the prescribed officer or the Bank in regard to any claim under these rules shall be final and no appeal from the said decision shall lie to any other officer or the Bank.

22. *Retention and destruction of notes.*

(1) A note of a denomination of more than one hundred rupees presented in connection with a claim shall be returned to the claimant, after being stamped and branded in such manner as may be appropriate, if the claim is rejected on the ground that the number of the note cannot be ascertained in the manner provided for in rule 16 or rule 18 or if the claim is rejected on the expiry of the period specified in clause (c) of the second proviso to rule 16.

(2) Save as provided in sub-rule (1), any note presented in connection with a claim under these rules shall, whatever be the denomination of the note or the prescribed officer's decision on the claim, be retained by the Bank and destroyed or otherwise disposed of—

(a) in the case of a note in respect of which any payment is made, at any time after the payment, and

(b) in the case of a note, in respect of which no payment is made, on the expiry of a period of three months from the date of the decision rejecting the claim.

23. *Payment to legal heirs.*

(1) If a claimant to whom any payment is due under these rules is dead, his legal representative shall be eligible to receive the payment.

(2) Where the amount of the payment is less than five hundred rupees, the prescribed officer may make the payment, notwithstanding the fact that probate or letters of administration or a succession certificate has not been produced by the legal representative, if the prescribed officer is satisfied that the legal representative is entitled to receive the money, or if an indemnity bond in the form specified by the prescribed officer is executed by the legal representative in favour of the Bank.

24. *Printed forms.*

Where any bond is to be executed in favour of the Bank, a printed copy of the bond shall be supplied by the Bank free of charge to the claimant or the person eligible to receive payment.

25. *Stamp Duty.*

The value of any stamp on a bond shall be payable by the person executing the bond.

26. *Procedure when payee is untraced.*

Where as the result of a claim under these rules the value or part of the value of a note is payable to a claimant, and such claimant, or if he is dead his legal representative, cannot be found or fails within a period of three months from the date of communication to him of the decision to take steps to receive payment, the amount payable shall be paid to the Banking Department of the Bank and thereupon the Bank shall dispose of the said amount as it may deem fit.

27. *Repeal.*

(1) The Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 1935 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the rules under sub-rule (1), any claim which is pending on the date of commencement of these rules shall be dealt with under the provisions of the rules in force immediately before such commencement.

R. K. SESHADRI, Dy. Governor.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th July 1975

No. 1(1)-3/72-Estt.I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulation, 1965 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Amendment Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965—

(i) in regulation 3, in sub-regulation (2), in the first proviso, for the expression "(3) Upper Division Clerk" the expression "(3) Upper Division Clerk/Caretaker" shall be substituted;

(ii) in regulation 28, in sub-regulation (2), for the words "Upper Division Clerks", the words "Upper Division Clerks/Caretakers" shall be substituted;

(iii) in schedule II—

(a) against Serial No. 7, in column 6 for the entry, "(a) Upper Division Clerk/Upper Division Clerk-in-Charge/Upper Division Clerk—Cashier", the entry "(a) Upper Division Clerk/Upper Division Clerk-in-Charge/Cashier in Upper Division Clerk's scale/Care Taker" shall be substituted,

(b) against Serial No. 9—

(i) in Column 2 for the entry "Upper Division Clerk/Upper Division Clerk-Incharge/Cashier in Upper Division Clerk's Scale" the entry, "Upper Division Clerk/Upper Division Clerk-Incharge/Cashier in Upper Division Clerk's scale/Care Taker" shall be substituted,

(ii) in column 3 for the existing entry, the entry "Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560—plus special pay of Rs. 25/- for Care Taker, shall be substituted.

The 29th July 1975

No. 6(16)/71-Estt.III.—In pursuance of Section 25 of the E.S.I. Act, 1948 (34 of 1948) read with Reg. 10 of the E.S.I (General) Regulations, 1950, the following amendment is hereby made in the Corporation's Notification of even number dated 16-1-1974 pertaining to the reconstitution of Regional Board, Delhi.

In the said Notification for the entry against Item No. 4 the following entry shall be substituted, namely:—

"4. Director (Medical) Delhi
E.S.I. Scheme,
E.S.I. Hospital,
Basai Darapur,
New Delhi"

The 31st July 1975

No. 6(7)/71-Estt.III.—Whereas the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi in pursuance of clause (d) of section 4 of the E.S.I. Act, 1948 (34 of 1948) vide their Notification No. U-16012(2)/75-HI dated 1st July, 1975 have notified Shri K. N. Srivastava, member of the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri Anup Singh.

Now, therefore, in pursuance of Section 25 of the E.S.I. Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, the following amendment is hereby made in the Employees' State Insurance Corporation notification of even number dated the 3rd May, 1974 pertaining to the constitution of Regional Board, Uttar Pradesh Region, namely :—

In the said notification, for the entry against Item No. 11 and 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"11. Shri K. N. Srivastava.
Commissioner-cum-Secretary
to the Govt. of Uttar Pradesh,
Department of Labour,
Lucknow.
3. Joint Secretary
to the Govt. of U.P.,
Labour Deptt.,
Lucknow."

No. 6(3)/71-Estt.III.—Whereas the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi in pursuance of clause (d) of section 4 of the E.S.I. Act, 1948 (34 of 1948) vide their Notification No. U-16012(4)/75-HI dated 10th July, 1975 have notified Shri T. J. Ramakrishnan as a member of the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri K. Narasimha Murthy.

Now, therefore, in pursuance of Section 25 of the E.S.I. Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, the following amendment is hereby made in the Employees' State Insurance Corporation notification of even number dated the 23rd October 1973 pertaining to the constitution of Regional Board, Karnataka Region, namely :—

In the said notification, for the entry against Item No. 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"11. Shri T. J. Ramakrishnan,
Secretary to the Govt. of Karnataka,
Social Welfare and Labour Department,
Bangalore."

T. N. LAKSHMI NARAYANAN,
Director General

Jaipur, the 30th July 1975

No. R/18-7/74-Estt.—It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for SRI-GANGANAGAR AREA under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 w.e.f. the date of Notification.

Chairman

Under Regulation 10-*A* (1) (*a*)

Principal Medical & Health Officer,
Sri-Ganganagar.

Members

Under Regulation 10-*A* (1) (*b*)

Regional Asstt. Labour Commissioner,
Bikaner.

Under Regulation 10-*A* (1) (*c*)
Insurance Medical Officer,
Incharge, E.S.I. Dispensary,
Sri-Ganganagar.
Under Regulation 10-*A* (1) (*d*)
1. Shri Harbinder Singh.
Chief Labour Welfare Officer,
Shree Sadul Textile Ltd.,
Sri-Ganganagar.
2. Shri R. K. Sharma,
Asstt. Saving Officer,
Ganganagar Sugar Mills Ltd.,
Sri-Ganganagar.
Under Regulation 10-*A* (1) (*e*)
1. Shri Devi Chand.
General Secretary,
Sugar Mill Rastriya Mazdoor Congress,
Sri-Ganganagar.
2. Shri Shiv Saran Pandey,
Shree Sadul Textiles Labour Union,
Sri-Ganganagar.
Under Regulation 10-*A* (1) (*f*)
The Manager,
Mini. Local Office,
Sri-Ganganagar. (*Member Secretary*)

U. P. SAXENA,
Regional Director.

(REGIONAL OFFICE)

Chandigarh, the 28th July 1975

No. PB.INS.II.11(2)/73-PB.—In pursuance of Employees' State Insurance Corporation Notification of even No. dated 3rd January, 1975 published in Govt. of India Gazette, Part III Section 4 dated 1-2-75, it is hereby notified that the Chairman Regional Board, Punjab has reconstituted the Local Committee consisting of the following members for Batala Area (Where Chapter IV and V of Employees' State Insurance Act, 1948 are already in force) under Regulation 10-A of Employees' State Insurance (General) Regulation 1950, with effect from the date of Notification :—

Chairman

Under Regulation 10-*A* (1) (*a*)

1. Sub-Divisional Officer (Civil),
Batala.

Members

Under Regulation 10-*A* (1) (*b*)

2. Senior Medical Officer,
Civil Hospital,
Batala.

Under Regulation 10-*A* (1) (*c*)

3. Deputy Director, Health Services,
(Social Insurance) Punjab,
Chandigarh.

Under Regulation 10-*A* (1) (*d*)

4. Shri Arun Chander,
Administrative Officer,
New Egerton Woollen Mills,
Dhariwal.

5. Shri Jaswant Singh,
Prop. Khalsa Foundry, Works,
Batala.

6. Shri Wazir Chand Kwatra,
Managing Partner Atlas Engineer Works,
Batala.

Under Regulation 10-*A* (1) (*e*)

7. Shri Mohinder Singh Kamal,
President Punjab Roadways Workers Union,
(Affiliated to INTUC)
Batala.

8. Shri Kartar Singh Dalam,
General Secretary, A.I.T.U.C. Branch,
Batala.

9. Shri Kundan Singh,
General Secretary,
Dhariwal Kharkhana Workers Union
(Affiliated to AITUC)
Dhariwal.

Under Regulation 10-*A* (1) (*f*)

10. The Manager,
Local Office,
E.S.I. Corporation,
Batala—*Secretary*.

By order

J. S. GREWAL,
Regional Director.

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi, the 18th July 1975

No. F.1-59/66(Cdn/CP).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 22 of the U.G.C. Act 1956 (3 of 1956) as modified upto 17th June, 1972 and in continuation of Gazette Notification No. F. 87-92/58(CUP) dated 1-12-1958, F. 33-72/59(CUP) dated 17-11-1960, F. 33-87/63(CUP) dated 6-6-64, F. 33-87/63(CUP) dated 27-4-66, F. 1-59/66(Cdn) dated 18-6-1968, F. 1-59/66 (CDN) dated 17-2-1969, F. 1-59 66(CDN) dated 22-12-69, F. 1-59/66(CDN) dated 26-2-71 and F. 1-59/66(CDN) dated 15-11-1973, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby specifies the following additional degrees for the purposes of the said Section.

Master's Degree :

Master of Dance (M. Dance)—Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya, Khairagarh.

Bachelor's Degree :

Bachelor of dance (B. Dance)—Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya, Khairagarh.

R. K. CHHABRA,
Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973